न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 87/2021 बउनवानी प्रेम कुमार महावर बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री भोरी लाल महावर द्वारा–जितेन्द्र सैनी का मकान गडी मोहल्ला मलारना डूँगर

GCMS No-2021/274

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी से लगकर महेश टाकीज तक तथा महेश टाकीज से लगकर अटैच तक उक्त बीच की जमीन आज से 60–70 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजो कोली महावर समाज के किन–किन व्यक्तियों के खातेदारी मे थी सभी व्यक्तियों के खाता संख्या नामा0 संख्या तथा नाम पिता का नाम जाति सहित नाम पते सहित खातेदार की प्रमाणित सूचना तथा इस भूमि के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति और किन किन व्यक्तियों के कितने कितने बीघा बिस्वा यह जमीन थी उन सभी के विवरण ब्यौरा सहित समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित सूचना। 2. रा.बा.उ.मा.वि. गंगापुर सिटी के विद्यालय से लगकर बीच की जगह जिस पर धर्मशाला टाईप का मकान बना हुआ है जो वाटिका के नाम से प्रसिद्व है यह भूमि महेश टाकीज से अटैच लगकर यह बीच की भूमि वाटिका के पास मोल मार्केट बना हुआ है उपरोक्त खातेदारी की जमीन 60–70 वर्ष पूर्व से पश्चात समय तक किन–किन व्यक्तियों के नाम आबादी मे कन्वर्ट हुई थी उन सभी व्यक्तियों के नाम पते सहित प्रमाणित सूचना वर्तमान मे इस भूमि पर किन–किन व्यक्तियों का कब्जा एवं निर्माण कर रखा है उन सभी के नाम पते सहित सूचना। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आटीआई/2021/65 दिनांक 8.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.8.2021 में चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार गंगापुर सिटी से होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 48दिनांक 25.8.2021 से तहसीलदार गंगापुर सिटी को अन्तरित किया गया। जिसके क्रम में तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 2472 दिनांक 8.9.2021 से अपीलान्ट को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से सूचित किया जा चुका है कि चाही गयी सूचना का प्रश्नात्मक होने एवं पूर्ण विवरण ग्राम का नाम ख0न0 इत्यादि अंकित नही किया है एवं सूचना का अधिकार अधि.,2005 के प्रावधानो के तहत सूचना क्रियेट करने का प्रावधान नही है और ना ही प्रश्नोत्तरी का जवाब दिये जाने का नियम है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार गंगापुर सिटी से होने के कारण उपजिला जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत नियत समयावधि में तहसीलदार गंगापुर सिटी को अन्तरित किया गया किन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम, ख0न0 इत्यादि अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके संबंध में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जरिये पत्रांक 2472 दिनांक 8.9.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूंकि चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने तथा सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:34:55 IST
Reason: SelfAttested